भारत सरकार

विधि और न्याय मंत्रालय

न्याय विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1876

जिसका उत्तर गुरुवार, 17 मार्च, 2022 को दिया जाना है

निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए ऑनलाइन न्यायालय

1876. श्री एन. आर. इलांगोः

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निष्पक्ष सुनवाई और साक्ष्य सुनिश्चित करने के लिए ऑनलाइन न्यायालयों का अभी भी अनुकूलन किया जाना शेष है ; और

(ख) यदि हां, तो इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि डिजिटल असमानता बहुत अधिक है और देश के लगभग सभी 19,000 न्यायालयों में बुनियादी ढांचा अच्छी अवस्था में नहीं है, सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री

(श्री किरेन रीजीजू)

(क) : पूर्व-कोविड अवधि में, वर्चुअल सुनवाई ढांचा का प्रयोग अधिकांश न्यायालयों द्वारा मुख्यतया न्यायालयों और जेलों के बीच कैदियों के संचलन के बिना रिमांड मामलों को संचालित करने के लिए किया जा रहा था । इस अनुभव ने कोविड-19 महामारी के परिणामस्वरूप न्यायालय सुनवाइयों की वीडियो कान्फ्रेंसिंग (वी.सी.) का विस्तार करने में सहायता की है । वीडियो कान्फ्रेंसिंग (वी.सी.) के संचालन में एकरूपता लाने और उसका मानकीकरण करने के लिए, भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा 6 मार्च, 2020 को अति महत्वपूर्ण आदेश पारित किया गया था, जिसने वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से की गई न्यायालय सुनवाइयों को विधिक मान्यता और वैधता प्रदान की है । इसके अतिरिक्त, 5 न्यायाधीशों वाली समिति द्वारा माडल वीडियो कान्फ्रेंसिंग नियम बनाए गए थे, जिन्हें स्थानीय संदर्भण के पश्चात् अंगीकृत करने के लिए सभी उच्च न्यायालयों को परिचालित किया गया था । 23 उच्च न्यायालयों ने इन आदर्श नियमों को पहले ही अपना लिया

है । कोविड लॉकडाउन अवधि के दौरान, वीडियो कान्फ्रेंसिंग न्यायालयों के मुख्य आधार के रूप में उभरी है, क्योंकि सामूहिक ढंग में भौतिक सुनवाइयां और सामान्य न्यायालय कार्यवाहियां संभव नहीं थीं । कोविड लॉकडाउन के आरंभ से, वीडियो कान्फ्रेंसिंग का प्रयोग करते हुए 31.01.2022 तक जिला न्यायालयों ने 1,11,40,223 मामलों की सुनवाई की थी, जबकि उच्च न्यायालयों ने 60,21,688 मामलों (कुल 1.71 करोड़) की सुनवाई की थी । लॉकडाउन अवधि के आरंभ होने के समय से, उच्चतम न्यायालय ने 08.01.2022 तक 1,81,909 सुनवाइयां की थीं । न्यायालयों की वी.सी. अवसंरचना में वृद्धि करने के लिए, तालुक स्तरीय न्यायालयों सहित सभी न्यायालय परिसरों में प्रत्येक को एक-एक वी.सी. उपस्कर उपलब्ध कराया गया है और 14,443 न्यायालय कक्षों के लिए अतिरिक्त वी.सी. उपस्कर के लिए अतिरिक्त निधियां स्वीकृत की गई हैं । 2506 वी.सी. कैबिन स्थापित करने के लिए निधियां उपलब्ध कराई गई हैं । अतिरिक्त 1500 वी.सी. अनुज्ञप्तियां अर्जित की गई हैं । 3240 न्यायालय परिसरों और तत्स्थानी 1272 जेलों के बीच वी.सी. सुविधाएं पहले से ही विद्यमान हैं । 1732 दस्तावेज मानकदर्शकों के उपापन के लिए 7.60 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है ।

(ख) : डिजिटल असमानता को पाटने के लिए, सरकार ने, ई-सेवा केंद्रों की स्थापना करने के लिए 12.54 करोड़ रुपए जारी किए हैं । 31.01.2022 तक, 25 उच्च न्यायालयों में 475 ई-सेवा केंद्र क्रियाशील बनाए गए हैं । न्यायालय परिसरों में ई-फाइलिंग के लिए 1732 हेल्पडेस्क काउन्टर सृजित करने के लिए 12.12 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं ; सभी कम्प्यूटरीकृत न्यायालयों में मुकद्दमा लड़ने वालों/वकीलों द्वारा याचिकाएं और आवेदन फाइल करने के लिए तथा इन्फो क्यास्कों के माध्यम से वकीलों और मुकद्दमा लड़ने वालों की वाद सूचियों से संबंधित न्यायिक जानकारी तथा अन्य मामलों से संबंधित जानकारी का प्रसार करने के लिए एकल खिड़की के रूप में कार्य करने के लिए न्यायिक सेवा केंद्र स्थापित किए गए हैं । मामलों के त्वरित निपटान के लिए वाई-फाई और कम्प्यूटरों से सज्जित मोबाइल ई-न्यायालय वैन भी उत्तराखंड और तेलंगाना उच्च न्यायाल में आरंभ की गई है । डिजिटल असमानता को पाटने के लिए, विभिन्न पणधारियों को प्रशिक्षित करने तथा न्यायालय अंकीकरण पहलों से उन्हें परिचित कराने के लिए समय-समय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम और जागरूकता अभियान संचालित किए गए हैं । वकीलों के बीच ई-फाइलिंग के बारे में जागरूकता सृजित करने तथा उसे प्रचलित बनाने के लिए जून, 2020 के दौरान तमिलनाडु, गोवा, महाराष्ट्र और दिल्ली विधिज्ञ परिषद् के लिए ई-फाइलिंग पर वेबिनार आयोजित किए गए थे, जिनमें 19,000 से

अधिक दर्शक थे । "ई-फाइलिंग के लिए सीढ़ी-दर-सीढ़ी" नामक ई-फाइलिंग संबंधी मैनुअल तैयार किया गया है और इसे ई-फाइलिंग पोर्टल पर, अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में, अधिवक्ताओं और मुकद्दमा लड़ने वालों के उपयोग के लिए उपलब्ध करा दिया गया है । इसे 11 प्रादेशिक भाषाओं में भी जारी किया गया है । ई-समिति, भारत का उच्चतम न्यायालय ने, ई-न्यायालय सेवा मोबाइल एप्लीकेशन के लिए यूजर मैनुअल जारी किया है और इसे ई-समिति की शासकीय वेबसाइट पर 14 भाषाओं, अर्थात् अंग्रेजी, हिंदी, बंगाली, असमिया, गुजराती, कन्नड़, खासी, मलयालम, मराठी, नेपाली, ओडिया, पंजाबी, तमिल और तेलुगू, में अपलोड़ किया गया हैं । "ई-फाइलिंग के लिए रजिस्टर कैसे करें" पर एक ब्रोशर अंग्रेजी और हिंदी में वकीलों के उपयोग के लिए ई-फाइलिंग पोर्टल पर उपलब्ध करा दिया गया है । यह भी 12 प्रादेशिक भाषाओं में जारी किया गया है । जागरूकता अभियान के भाग के रूप में, ई-न्यायालय सेवाओं के नाम में एक यू-ट्यूब चैनल सृजित किया गया है, जिसमें पणधारियों तक बृहत्तर पहुंच के लिए, ई-फाइलिंग पर शिक्षकीय वीडियो उपलब्ध कराई गई है । हिंदी और अंग्रेजी के अतिरिक्त, ई-फाइलिंग पर 7 प्रादेशिक भाषाओं में 12 स्व-सहायता वीडियो तैयार की गई थीं और जागरूकता उत्पन्न करने वाले कार्यक्रम के भाग के रूप में अधिवक्ताओं के लिए परिचालित की गई थीं । उक्त वीडियो, ई-फाइलिंग पोर्टल हैल्प डेस्क पर तथा ई-समिति यू-ट्यूब चैनल के माध्यम से सोशल मीडिया पर भी उपलब्ध हैं । ई-न्यायालय सेवाओं के अधीन ई-फाइलिंग और ईसीएमटी साधनों पर अधिवक्ताओं के लिए जागरूकता कार्यक्रम संचालित करने के लिए, राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर उच्चतम न्यायालय की ई-समिति द्वारा प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण पहले ही आरंभ किया जा चुका है । प्रत्येक उच्च न्यायालय में 25 मास्टर प्रशिक्षकों को प्रशिक्षित किया गया है, जिन्होंने बाद में पूरे देश में 5409 मास्टर प्रशिक्षकों को पहले ही प्रशिक्षित कर दिया है । इन 5409 मास्टर प्रशिक्षकों ने बाद में देश के प्रत्येक जिले में अधिवक्ताओं के लिए उनकी अपनी प्रादेशिक भाषाओं में ई-न्यायालय सेवा और ई-फाइलिंग पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए हैं और मास्टर प्रशिक्षक अधिवक्ताओं की भी पहचान की है ।

****